राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2018

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. शोकाभिव्यक्ति

निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी :-

1. श्री भानुकुमार शास्त्री **-** पूर्व सांसद, छठी लोकसभा एवं सदस्य, पांचवी राजस्थान विधान सभा ।

2. श्री रामजीलाल महामना **-** पूर्व सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा ।

3. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा, पृथ्वीराज नगर, जयपुर में पेयजल एवं सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री कैलाश भंशाली, सदस्य, विधान सभा, जोधपुर शहर स्थित राजस्थान रोड़वेज बस स्टैण्ड को अन्तर्राष्ट्रीय बस स्टैण्ड बनाये जाने के संबंध में परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

4. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

गृह विभाग

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री गृह विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें, सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- अधिसूचना संख्या: एफ.7(32)गृह-12/कारा/2014, दिनांक 11.1.2018 जिसके द्वारा राजस्थान कारागार (दण्डादेशों का लघुकरण) नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ; एवं

2- अधिसूचना संख्या: एफ.7(32)गृह-12/कारा/2014, दिनांक 11.1.2018 जिसके द्वारा राजस्थान कारागार नियम, 1951 में संशोधन किया गया है ।

जारी..2..

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(II) श्री राजेन्द्र राठौड़, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या:एफ.4(7)संशो/नियम/विधि /पंरा/2017/224, दिनांक 21.2.2018, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

उद्योग विभाग

(III) श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)डीएमआईसी/विविध/2016/एसआईआर-एक्ट/2016, दिनांक 22.2.2018, जिसके द्वारा अलवर जिले की बहरोड़, नीमराना, मुण्डावर, कोटकासिम एवं तिजारा तहसील के कतिपय गांवों के सम्पूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक विशेष विनिधान रीजन घोषित किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

(ख) प्रतिवेदन

1- श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे : -

I- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) ;

II- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (आथिक क्षेत्र) ; एवं

III- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017

2- श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3- श्रीमती किरण माहेश्वरी, उच्च शिक्षा मंत्री कोटा विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016, 2016-2017 एवं 2017-2018 सदन की मेज पर रखेंगी ।

4- श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्यमंत्री, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-18 की उप धारा(6) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे ।

जारी..3..

<u>5. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019</u>

<u>द्वितीय अवस्था</u>

<u>अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान</u>

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

क्र.सं.	मांग संख्या		मुख्य शीर्षक
1.	16	-	पुलिस
2.	17	-	कारागार

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 26 फरवरी, 2018